

**न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी**  
**मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर**  
**पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]**  
**प्रकरण संख्या: 126/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/179)**

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजकुमार पुत्र जुगलाल जाति धानक निवासी गजसिंहपुर तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. कश्मीर सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति मजहबी निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. काला सिंह पुत्र पाला सिंह जाति मजहबी निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरमेल कौर पत्नी मेजर सिंह जाति मजहबी निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। 4. सुखदेव सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति मजहबी निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**तारीख रजू 09.05.2025**

**उपस्थित: 1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी**

—निर्णय—

**दिनांक: 25.09.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 19/18 के मुरब्बा नम्बर 15 की कुल 1.720 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपसी काश्त सहूलियत के अनुसार सहमति से घरु वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरु बंटवारानामा अनुसार वादी का कब्जा काश्त चक 35 एच के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 3/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.051 हैक्टेयर, किला नम्बर 4 की 0.039 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.039 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.040 हैक्टेयर कुल 0.573 हैक्टेयर भूमि पर है। घरु वाहमी बंटवारानामा अनुसार ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने-अपने रकबा पर पिछले काफी समय काश्त करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने-अपने रकबा पर काविज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। आज से 10 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 19/18 के मुरब्बा नम्बर 15 की कुल 1.720 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम दर्ज भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।



पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी  
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

